न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 183/2022

1 मणी देवी पत्नी रघुवीर उम्र 55 साल जाति जाट निवासी गाड़जी का बास हेतमसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं हाल आबाद प्लाट नम्बर 14/153 मुक्ता प्रसाद नगर बीकानेर राज.।
2 तरूण कुमार उम्र 37 साल
3 नवनीत कुमार उम्र 35 साल पुत्रगण रघुवीर जातिगण जाट निवासी गाड़जी का बास हेतमसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं हाल आबाद प्लाट नम्बर 14/153 मुक्ता प्रसाद नगर बीकानेर राज.।

अपीलांट

बनाम

1 उम्मेद सिंह उम्र 48 साल दतक पुत्र जगमाल सिंह जाति जाट निवासी गाड़जी का बास हेतमसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झूनूं।
2 श्रवणी देवी उम्र 68 साल पत्नी कालूसिंह जाति जाट निवासी गाड़जी का बास हेतमसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झूनूं।
3 शिशराम उम्र 58 साल पुत्र हरदेवाराम जाति जाट निवासी गाड़जी का बास हेतमसर तहसील मण्डावा हाल आबाद आदर्श कॉलोनी भैरू जी का मन्दिर गुढ़ा गौड़जी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं।
4 केसरी देवी उम्र 63 साल पत्नी विद्याधर जाति जाट निवासी गाड़जी का बास हेतमसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झूनूं।
5 नरेन्द्र कुमार उम्र 38 साल पुत्र
6 रविन्द्रकुमार उम्र 39 साल पुत्र
7 अनिता उम्र 39 साल पुत्री पिसरान विद्याधर जाति जाट निवासी गाड़जी का बास हेतमसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झूनूं।
8 प्रतिभा देवी पत्नी संदीप जाति जाट निवासी डी. 51 वार्ड नम्बर 7 इंदिरा नगर झुन्झुनूं तहसील व जिला झुन्झुनूं।
9 विकास पुत्र बाबुलाल जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 10 किसान कॉलानी झुन्झुनूं तहसील व जिला झुन्झुनूं।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

10 आई.डी.बी.आई बैंक झुन्झुनूं जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा कार्यालय झुन्झुनूं तहसील व जिला झुन्झुनूं।
11 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नुआं जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा कार्यालय नुआ तहसील व जिला झुन्झुनूं।
12 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हेतमसर जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा कार्यालय हेतमसर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
13 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अ.धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी मण्डावा उनवानी उम्मेदसिंह बनाम श्रवणी देवी वगै. प्रकरण संख्या 245/22 (पुराना 106/2019) वाद बाबत खाता विभाजन में पारित आदेश दिनांक 06.10.2022 को अपास्त व निरस्त करने हेतु

उपस्थिति :

1. श्री हरिप्रसाद सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मकर्रम अंसारी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. सुश्री सोनू कुमारी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 22.1.25

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावा द्वारा मुकदमा नम्बर 245/2022 में पारित निर्णय दिनांक 06.10.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक वाद खाता विभाजन बाबत भूमि खसरा नम्बर 214/4, 215/2 जिसके हाल खसरा नम्बर 693, 717, 718 वाके ग्राम हेतमसर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 14.02.2022 को तहसीलदार द्वारा अक्षरसः पालना नहीं करने के बावजुद मौका रिपोर्ट दिनांक 11.05.2022 के आधार पर जो निर्णय पारित किया है वह गलत है क्योंकि दिनांक 14.02.2022 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान की उपस्थिति में मय नक्शा तैयार करके भिजवाई जानी थी लेकिन तहसीलदार मण्डावा ने न तो पक्षकारान की उपस्थिति बाबत कोई नोटिस दिया और ना ही पूर्व में अपीलान्टस द्वारा एतराज विभाजन प्रस्ताव में अंकित आपतियों को एतराज विभाजन प्रस्ताव में अंकित है के बाबत कोई जांच की है इस तरह से विचारण न्यायालय का निर्णय अपने आदेश दिनांक 14.02.2022 से विपरित निर्णय होने से विरोधाभाषी आदेश है तथा निरस्त होने योग्य है। विभाजन प्रस्ताव से पूर्व पक्षकारों को नोटिस नहीं दिया गया है अपीलान्ट को वगैर सूचित किये उनी अनुपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार किया है। सभी पक्षकारों को भी नोटिस नहीं दिया गया है। सभी पक्षकारों की अनुपस्थिति में विभाजन तैयार किया गया है उक्त तथ्य पर विचारण न्यायालय ने दिनांक 06.10.2022 को निर्णय पारित किया गया है विधि के सिद्धान्तों के विपरित होने से खारिज होने योग्य है। विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार की उपस्थिति में बनाया गया है जबकि मौके पर तहसीलदार नहीं गया। पटवारी, गिरदावर हल्का के द्वारा मौके पर विभाजन प्रस्ताव तैयार पक्षकारों की अनुपस्थिति में बनाया गया है। मौके पर विभाजन प्रस्ताव के विवादित भूमि पर पक्षकारान का कब्जा है कब्जे काश्त के आधार पर विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया है अपीलान्टस मौके पर उपस्थित नहीं थे। इसके बावजूद विचारण न्यायालय ने मनमाना आदेश पारित किया है जो अपीलान्ट के अभिवचनों व मौके की स्थिति के विपरित होने के कारण निरस्त होने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

योग्य है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय रास्ते को मध्य नजर रखते हुये तैयार करना चाहिये। राजस्थान काश्कारी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 तथा राजस्व मण्डल द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 05.09. 2020 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया। विभाजन प्रस्ताव रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के असर प्रभाव में तैयार किया गया है। विधि के प्रावधानों की पालना नहीं कर निर्णय पारित करने में गलती कानूनी की है। इसलिये भी विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त होने योग्य है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि अपीलांट विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 7, 8, 9 के रूप में पक्षकार थे। विचारण न्यायालय में उभयपक्ष की सहमति से विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी। विभाजन की प्राथमिक डिक्री को किसी भी पक्षकार ने चुनौती नहीं दी है। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये। इन विभाजन प्रस्ताव पर वादी व प्रतिवादीगण के वकील ने आदेशिका पर हस्ताक्षर कर अंतिम डिक्री जारी करने में आपत्ति नहीं होने का अंकन किया है। इस आधार पर विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से अंतिम डिक्री जारी की है। विचारण न्यायालय में कुल 11 प्रतिवादी थे। इनमें से केवल प्रतिवादी संख्या 7, 8, 9 की ओर से अंतिम डिक्री को चुनौती दी गई है। शेष प्रतिवादीगण द्वारा अंतिम डिक्री को चुनौती नहीं दी गई है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 7, 8, 9 के रूप में पक्षकार थे। विचारण न्यायालय में उभयपक्ष की सहमति से विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी। विभाजन की प्राथमिक डिक्री को किसी भी पक्षकार ने चुनौती नहीं दी है। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये। इन विभाजन प्रस्ताव पर वादी व प्रतिवादीगण के वकील ने आदेशिका पर हस्ताक्षर कर अंतिम डिक्री जारी करने में आपत्ति नहीं होने का अंकन किया है। इस आधार पर विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से अंतिम डिक्री जारी की है। विचारण न्यायालय में कुल 11 प्रतिवादी थे। इनमें से केवल प्रतिवादी संख्या 7, 8, 9 की ओर से अंतिम डिक्री को चुनौती दी गई है। शेष प्रतिवादीगण द्वारा अंतिम डिक्री को चुनौती नहीं दी गई है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नही पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 22.1.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर